न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 287/2011

1. छीतरलाल
2. हरिशंकर
3. प्रेम बाई
4. जानकी बाई

पिसरान बिरधीलाल जाति ब्राहमण निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. नारायण पुत्र गणेश
2. बुद्धि प्रकाश पुत्र नारायण
3. नरेन्द्र पुत्र नारायण

जातियान ब्राहमण निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री भंवर सिंह गौड
वकील प्रतिवादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
दायरा दिनांकः 22.11.2011

निर्णय दिनांक : 27.12.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 188 खसरा नं0 2789/3200 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 2813 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 आराजी वाके माल बोहत तहसील मांगरोल में स्थित है। वादीगण उक्त आराजी में से खसरा नं0 2813 रकबा 0.27 है0 पर दिनांक 06.10.2011 को सरसो की फसल बोने हेतु गये तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त आराजी पर फसल बोने नही दी और लडाई–झगडे पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त खाते की आराजी की आये दिन मेढ भी काट देते है एवं प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति होने की वजह से यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें। अतः निवेदन है कि एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त व खाते की ग्राम बोहत में स्थित आराजी खसरा नं0 2813 रकबा 0.27 है0 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने दें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 22.11.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कर्मवीर शर्मा ने वकालत नामा प्रस्तुत किया परन्तु जवाब दावा प्रस्तुत नही किया।

पत्रावली में दिनांक 27.12.2018 को बहस फाईनल उभयपक्षीय सुनी गयी। वाद पत्र में अंकित कथनो को वकील वादीगण ने बहस में दोहराया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व खाते की आराजी ग्राम बोहत में स्थित आराजी खसरा नं0 2813 रकबा 0.27 है0 में प्रतिवादीगण मदालखत करते हैं वादी को शांतिपूर्वक काश्त नही करने देतें है। चूकि वादीगण आराजी ग्राम बोहत में खसरा नं0 2813 रकबा 0.27 है0 के रेकार्डेड खातेदार है अतः मुताबिक वाद पत्र वादीगण, संलग्न दस्तावेजात एवं बहस वकील वादीगण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण की कब्जे व खाते की आराजी ग्राम बोहत में खसरा नं0 2813 रकबा 0.27 है0 में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और नही अपने प्रतिनिधि से करावें एवं वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल एक माह में मौके पर पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन

जिला बारां में स्थित है। वादीगण की